ग्राम पंचायत छकोह, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016 तक

भाग–एक

1 **प्रस्तावना :–**

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत छकोह, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्रीमति दीपा चन्देल	01/04/2013 से 22/01/2016
2	श्री जोगेन्द्र कुमार	23/01/2016 से 31/03/2016

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री चमन लाल शर्मा	01.04.2013 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत छकोह, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5.1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31–03–2016 के अन्त शेष में अन्तर	6.87
	5.2	अनुदान की शेष राशि को **खाता 'क'** में अन्तरित करना	1.69
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	——
3	6.3	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना	0.87
4	9	तीन वर्षों से प्राप्य राजस्व की वसूली न करना	0.44
5	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	10.11
6	11	संदिग्ध व्यय	0.44
7	12	निविदाओं के बिना किया गया क्रय	1.32

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :—

ग्राम पंचायत छकोह, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 15/06/2016 से 22/06/2016 तक ग्राम पंचायत छकोह के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 02/2014, 02/2015, 03/2016 व 03/2014, 09/2014, 02/2016 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविश्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :—

ग्राम पंचायत छकोह, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क रु5000/—बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015—16/—124 दिनांक 22/06/2016 द्वारा सचिव, पंचायत छकोह से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :—

ग्राम पंचायत छकोह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :—

4.1 **स्व स्त्रोत :—** ग्राम पंचायत छकोह के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों **(खाता 'क')** की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया है :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	80791	97398	178189	59935	118254
2014—15	118254	197191	315445	84406	231039
2015—16	231039	316505	547544	49695	497849

4.2 अनुदानः— ग्राम पंचायत छकोह के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति **(खाता 'ख')** का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** तथा **2** में भी दिया गया है :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	746484	4006630	4753114	3516118	1236996
2014—15	1236996	4428739	5665735	4242898	1422837
2015—16	1422837	3719555	5142392	4131713	1010679

5 5.1 रोकड़ वही तथा बैंक शेषों के दिनाँक 31.3.2016 के अन्तशेष में ₹6.87 लाख का भारी अन्तर :—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत छकोह द्वारा हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्तशेष ₹6,86,899/—का अन्तर बैंक खातों में अधिक शेष के रूप में है।

क्र0सं0	खाता			अन्त शेष
	रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति के अनुसारः—			
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' — पैरा 4(1)			497849.00
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' — पैरा 4(2)			1010679.00
	कुल योग (क)ः			**1508528.00**
	बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः—			
	विवरण	**बैंक**	**खाता**	
1	सामान्य निधि — खाता 'क'	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक मलोखर	270	187702.00
2	अनुदान खाता — खाता 'ख'	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक मलोखर	278	486739.00
3	सांसद क्षेत्र विकास निधि	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक मलोखर	4046	163261.00
4	विधायक क्षेत्र विकास निधि	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक मलोखर	5456	109449.00
5	13वां वित्तायोग	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक मलोखर	2032	0.00
6	निर्मल भारत अभियान	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक मलोखर	5899	183133.00
7	14वां वित्तायोग	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक मलोखर	6387	444326.00
8	जिला परिषद् अनुदान	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक मलोखर	4043	168254.00
9	आई डबल्यू एम पी — 1	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक मलोखर	3690	152286.00
10	आई डबल्यू एम पी — 2	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक मलोखर	3691	62070.00
11	इन्दिरा आवास योजना	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक मलोखर	2152	58697.00
12	राजीव आवास योजना	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक मलोखर	2153	165670.00
13	मिड हिमालय प्रोजैक्ट — 1	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक मलोखर	1466	12514.00
14	मिड हिमालय प्रोजैक्ट — 2	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक मलोखर	1467	1326.00
15	मनरेगा	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक मलोखर	1257	0.00
	कुल योग (ख)ः			**2195427.00**
	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क — ख)ः			**686899.00**

यह अन्तर परिलक्षित करता है कि रोकड़ बहियों के रखरखाव में कितनी लापरवाही बरती गई है। इस अन्तर का दूसरा मुख्य कारण सीमेन्ट को रोकड़ बही से जारी करना भी हो सकता है जिसके बारे में विस्तृत टिप्पणी आगे अलग अनुच्छेद में की गई है। अतः इस

अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ वही के अन्तशेष को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 अनुदान की शेष राशि ₹1,68,933/–को खाता 'क' में अन्तरित करना :–

पंचायत के बैंक खातों तथा रोकड़ बही की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 30–03–2015 को 13वें वित्तायोग के बैंक खाता संख्या 2032 में से रु75,266/– पंचायत स्वयं संसाधनों के बैंक खाता संख्या 270 को अन्तरित किया गया जिसका लेखांकन खाता 'क' की रोकड़ बही के पृष्ठ 23 पर किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 26–02–2016 को भी बैंक खाता संख्या 278 में से ₹93,667/– पंचायत स्वयं संसाधनों के बैंक खाता संख्या 270 को अन्तरित किया गया जिसका लेखांकन खाता 'क' की रोकड़ बही के पृष्ठ 35 पर किया गया है। इस अन्तरण का कोई औचित्य अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाए गए अभिलेख से स्पष्ट नहीं ही पाया अतः अब स्पष्टीकरण तथा अभिलेख सहित सम्पूर्ण वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना :–

6.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

ग्राम पंचायत छकोह की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत छकोह के लेखों की जांच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम–विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई हैं:–

6.1 **(क):–** हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। पंचायत द्वारा पंचायत निधि एवं अनुदान, मध्य हिमालय जलागम परियोजना, मनरेगा, आई डबल्यू एम पी, इन्दिरा आवास योजना तथा राजीव आवास योजना के लिए छः अलग – अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन छः रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 **(ख):–** हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत छकोह में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा लैजर खातों के स्थान पर गत उप पैरा में वर्णित विभिन्न योजनाओं के

लिए अलग–अलग छः रोकड़ बहियों का निर्माण करने को ही इस नियम की अनुपालना मान लिया गया है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना तो की ही गई है साथ ही जब कभी उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों को इकट्ठा करने में समय तथा मानव श्रम की अनावश्यक बरबादी होती है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 नियमों के विरूद्ध पंद्रह बैंक बचत खातों का खोला जाना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) व (2) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से **खाता 'क'** में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत छकोह में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित पंद्रह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन तेरह अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 खाता 'ख' के ₹87,316/–के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा **खाता 'ख'** में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के **खाता 'क'** में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ग्राम पंचायत छकोह के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹87,316/–खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता			**माह/वर्ष**				**कुल ब्याज**
संख्या	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	
278	9132	8813	9038	7662	9212	16428	60285
4046	0	0	1249	2973	2708	1834	8764
5456	0	0	111	1446	1391	2165	5113
2032	859	1520	1240	920	0	0	4539

5899	0	0	0	760	5373	3600	9733
6387	0	0	0	0	0	97	97
4043	0	0	0	38	145	1361	1544
3690	2558	4072	6283	11083	3798	283	28077
3691	85	363	447	563	930	1220	3608
2152	216	186	573	704	407	477	2563
2153	2819	3382	2278	2805	1737	2302	15323
1466	5	1910	3273	3321	2901	665	12075
1467	24	24	25	25	26	26	150
1257	1850	1615	1338	579	0	0	5382
कुल योग	17548	21885	25855	32879	28628	30458	157253
		(–) पंचायत द्वारा खाता 'क' को अन्तरित ब्याजः–					69937
		अन्तरण हेतु शेष ब्याजः–					87316

6.4 क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करना :–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

6.5 रोकड़ बही से सीमेन्ट जारी करना :–

पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए खरीदे गए सीमेन्ट को एम॰ ए॰ एस॰ (मैटीरियल ऐट साइट) रजिस्टर/सीमेंट भण्डारण रजिस्टर से सम्बन्धित कार्य को जारी करने के स्थान पर इसे पुनः रोकड़ बही की आय में लेखांकित करते हुए व्यय की तरफ से जारी करने की प्रविष्टियां की गई हैं। 13वें वित्तायोग की रोकड़ बही की नमूना जांच में पाए गए कुछ ऐसे ही प्रकरण नीचे तालिका में उद्धृत्त किए गए हैं। सीमेन्ट के लेखांकन का यह तरीका अनुचित है। जिस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र॰	रो. ब. पृष्ठ	दिनांक	सीमेंट बोरियां	दर	राशि
1	14	20.10.14	50	330.00	16500.00
2	14	20.10.14	10	205.00	2050.00
3	16	20.12.14	200	205.00	41000.00

7 निवेश :–

ग्राम पंचायत छकोह द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई सावधिक जमा (Fixed Deposit) में निवेश नहीं किया गया था।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹43,500/–का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

पंचायत सहायक ग्राम पंचायत छकोह द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व **₹43,500/–**की वसूली शेष थी।

गृहकर :– पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 725 के लिए ₹15 प्रति परिवार की दर से

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	10875.00	10875.00	21750.00	0.00	21750.00
2014–15	21750.00	10875.00	32625.00	0.00	32625.00
2015–16	32625.00	10875.00	43500.00	0.00	43500.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

10 अनुदान की राशि ₹10.11/—लाख का अवरोधन :—

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31—03—2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹10,10,679/—की राशि उपयोग हेतु शशष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 बिना बिल वाउचरों के किया गया ₹0.44 लाख का संदिग्ध व्यय :—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब—वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में दर्ज ₹43,600/—के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता के उचित बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण **परिशिष्ट '3'** में दिया गया है। इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा, जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, में ही आपूर्तिकर्ता की रसीद दर्शाई गई है तथा पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय सही प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

12 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1,31,832/—के स्टाक स्टोर का क्रय करना :—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) **व 67(5)** द्वारा स्टाक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1,31,832/—के स्टॉक स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त

नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टाक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविश्य में नियमानुसार ही स्टाक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	निधि	दिनांक	रो॰ ब॰ पृष्ठ	क्रय की गई सामग्री	राशि
1	आई डबल्यू एम पी	25.3.14	33	रेत व बजरी	36000.00
2	आई डबल्यू एम पी	25.3.14	33	रेत व बजरी	32045.00
3	आई डबल्यू एम पी	9.9.14	006	सरिया	5192.00
4	आई डबल्यू एम पी	9.9.14	006	रेत व बजरी	26800.00
5	आई डबल्यू एम पी	7.10.14	009	शटरिंग	12445.00
6	आई डबल्यू एम पी	7.10.14	009	रेत	4350.00
7	आई डबल्यू एम पी	6.11.15	040	रेत व बजरी	15000.00
				कुल योगः—	**131832.00**

13 रसीदों से सम्बन्धित अनियमिततएं :—

13.1 रसीद बुकों का नियमानुसार प्रयोग न करना :—

लेखांकन के सामान्य नियमों तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक पंचायत में एक समय में एक ही रसीद बुक को प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत छकोह के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि यहां पर निम्न विवरणानुसार अंकेक्षणावधि के दौरान एक साथ कई रसीद बुकों का प्रयोग किया गया है जिनमें अंकेक्षण के समय तक बहुत सी खाली रसीदें पड़ी थीं।

क्र	रसीद बुक	खाली रसीदें	खाली रसीदों की संख्या
1	122801 — 122900	122862 — 122900	39
2	123401 — 123500	123465 — 123500	36
3	123301 — 123400	123314 — 123400	87

अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए प्रथमतयः इन खाली रसीदों का प्रयोग किया जाए तथा तदोपरान्त इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

13.2 दिनांक रहित रसीदें जारी करना :—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अधिकतर प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमविरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 भंडारण रजिस्टर (Stock/Store Registers) के रख–रखाव में त्रुटियां :–

14.1 भण्डारण रजिस्टर का रख रखाव उचित तरीके से न करना :–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत छकोह में खरीदे गए सामान का इन्द्राज़ करते समय उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई भन्डारण पुस्तकें लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त अब तक भण्डार पुस्तकों में दर्ज न किए गए उपरोक्त **पैरा 12** में वर्णित सामान का इन्द्राज़ किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

14.2 प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के लैजर खाते	7	29(1)

6	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) ; — इद्ध
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 विविध अनियमितताएं :–

16.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत छकोह द्वारा नहीं की जा रही है।

16.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

16.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत छकोह के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16.4 व्यय वाउचरों की जाच में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन पर वाउचर संख्या नहीं लिखी जाती है जो कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के प्रावधानों के विरूद्ध है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 **लघु आपति विवरणिका :—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(12) 3/2016—खण्ड—1—4862—4865 दिनाँकः07.09.2016
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत छकोह, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर,, हि0प्र0

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट '3'

बिना बिल वाउचरों के किया गया संदिग्ध व्यय (पैरा 11 में सन्दर्भित):–

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि
	आई डबल्यू एम पीः			
1	25.3.14	33	ढुलाई मजदूरी	900.00
2	25.3.14	33	ढुलाई मजदूरी	1055.00
3	9.9.14	006	रेत व बजरी	26800.00
4	7.10.14	009	शटरिंग	12445.00
	सामान्य निधिः			
5	10.3.14	68	बिजली फिटिंग की मुरम्मत	2400.00
			कुल योगः	**43600.00**